



# ज्ञानमंदिर विधि महाविद्यालय, नीमच

**विवरणिका**

सत्र 2024-25



विधि शिक्षा का उत्कृष्ट संस्थान  
बार कौंसिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त  
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से संबद्धता प्राप्त

**एल-एल. बी.**  
तीन वर्षीय पाठ्यक्रम  
( 6 सेमेस्टर )

Ph: 07423-220274

E-mail : [gmcneemuch@rediffmail.com](mailto:gmcneemuch@rediffmail.com)

Web. : [www.gyanmandirnmh.com](http://www.gyanmandirnmh.com)



# Career in Law

आज इक्कीसवीं शताब्दी के भारत में विधि (कानून) की शिक्षा की जितनी जरूरत है उतनी पहले कभी नहीं रही। यदि हम इस देश की अदालतों का चित्र देखें तो पायेंगे कि यहाँ लगभग 2 करोड़ 60 लाख मुकदमे फैसले के लिए लंबित हैं और प्रतिदिन भारी तादाद में नये वाद दायर होते जा रहे हैं।

हम जानते हैं कि प्रत्येक मुकदमे में पुलिस प्रशासन के अलावा पक्ष, विपक्ष, गवाह, वकील आदि मिलाकर लगभग दस व्यक्ति शामिल रहते हैं इस तरह न्यायालयीन कार्यवाहियों के चलते इस देश में 15 से 20 करोड़ व्यक्ति औसत रूप से विधिक कार्यों में सम्मिलित हैं।

इस क्षेत्र में रोजगार की कमी नहीं है, विधि विशेषज्ञों को इस प्रोफेशन में अवसर और धन के साथ प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। आज लोग कानून के प्रति जागरूक हैं इसलिए युवा वर्ग कानून की समुचित और संपूर्ण शिक्षा पाने के लिए उत्सुक और लालायित है, अन्य विषयों के समान विधि की शिक्षा में भी गुणवत्ता और विशिष्टता लाना आवश्यक हो गया है।

हमारा प्रयास भी इसी दिशा में है।



## पद

- न्यायाधीश वर्ग - 2
- शासकीय अधिवक्ता (ए.डी.पी.ओ.)
- श्रम अधिकारी
- बैंक, बीमा, शासकीय संस्थाओं आदि में विधि अधिकारी
- अधिवक्ता (एडवोकेट) एवं विधि सलाहकार
- कॉरपोरेट लॉयर
- फेमिली लॉयर
- इन्टरनेशनल ट्रेड लॉयर
- प्राध्यापक एल.एल.एम./नेट पश्चात/पी.एच.डी.


समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा भी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाती है, जो सरकार के प्रतिनिधि कहलाते हैं, जैसे-सालिसीटर, एटॉर्नी जनरल (केन्द्र में) एडवोकेट जनरल (राज्य में) नोटरी, ओथ कमिश्नर आदि।

एल.एल.बी. करने के बाद आप शासकीय क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं या फिर वकालत कर सकते हैं। लॉ के क्षेत्र में जॉब की कोई कमी नहीं है। यह आपकी रुचि पर निर्भर करता है कि आप कहाँ फिट होते हैं। विधि व्यवसाय एक मात्र ऐसा व्यवसाय है जो बिना पुंजी के प्रारम्भ होता है और 100 प्रतिशत लाभ प्रदान करता है। लॉ करने के बाद आप किसी भी शहर में विधि व्यवसाय कर सकते हैं आपके लिए स्थान बंधन नहीं होता है, ऐसी विश्वव्यापी शिक्षा आपका इंतजार कर रही आप आ रहे हैं ना.....

## महाविद्यालय में विशेष सुविधाएँ

- विक्रम विश्वविद्यालय की प्राविण्य सूची (एल.एल.बी0) में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 15000/-रु. नकद प्रोत्साहन पुरस्कार
- विक्रम विश्वविद्यालय की प्राविण्य सूची में द्वितीय से दसवाँ स्थान प्राप्त करने पर 5000/-रु. नकद प्रोत्साहन पुरस्कार
- विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों हेतु वृहद लाईब्रेरी सुविधा।
- इन्टरनेट सुविधा।
- मूट कोर्ट द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रशिक्षण।
- शासकीय नियमानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु छात्रवृत्ति की सुविधा।

कानून के क्षेत्र में  
केरियर की  
कोई कमी नहीं है।  
आप स्वयं मूल्यांकन  
करके देखें कि  
इतने क्षेत्र  
किस विषय  
में है।





B++  
NAAC Accredited

## कुल-गान

जागो.....

जागो, जागो मंगल लोक में

अमृतमय आलोक में

देख भुवन, जाग रहा

जाग रहा, जीवन सागर

हम भी जागें, इस प्रभात में

जागो विश्व-संग अभय में

जागो.....

जागो, जागो मंगल लोक में अमृतमय आलोक में



विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर के मूल बाँग्ला गीत  
के आचार्य विनोबा भावे कृत हिन्दी भाषान्तर पर आधारित ।  
विक्रम विश्वविद्यालय कुल गान

मन, जाग मंगल लोके अमल अमृतमय नव आलोके ज्योति-विभासित चोखे ॥  
हेर गगन भरि जागे सुन्दर, जागे तरंगे जीवनसागर-निर्मल प्राते विश्वेर साथे जाग अभय अशोके ॥  
(विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की मूल बाँग्ला रचना)



फोन न.

कार्यालय 07423-220274, 403263

प्राचार्य 9425991876

E-Mail : gmcneemuch@rediffmail.com

Web : www.gyanmandirnmh.com



## विषयानुक्रम

- |  |  |
|--|--|
| 1. महाविद्यालय का परिचय  | 10. छात्र परिषद्                               |
| 2. प्रवेश नियम   | 11. अध्यापन                                    |
| 3. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र  | 12. खेलकूद                                     |
| 4. प्रवेश की संख्या  | 13. ग्रंथालय                                   |
| 5. पाठ्यक्रम<br>त्रि - वर्षीय एल-एल. बी. ( विधि में स्नातक डिग्री )<br>*- परीक्षा योजना एवं प्रश्न पत्र  | 14. पुरस्कार                                   |
| 6. शिलेबस  | 15. छात्र सहायता                               |
| 7. परिचय - पत्र  | 16. विद्यार्थी सुरक्षा बीमा                    |
| 8. ड्रेस कोड   | 17. छात्रवृत्तियाँ                             |
| 9. शुल्क विवरण<br>(अ) त्रिवर्षीय एल-एल. बी. पाठ्यक्रम (वार्षिक शुल्क )<br>(ब) म.प्र. राज्य के बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए पंजीयन<br>(स) अन्य शुल्क<br>(द) अमानत निधि के संबंध में नियम<br>(इ) शुल्क से संबंधित अन्य नियम | 18. वाहन स्टेण्ड                               |
|  | 19. लीगल एड क्लिनिक                            |
|  | 20. राष्ट्रीय सेवा योजना                       |
|  | 21. अनुशासन एवं आचार संहिता                    |
|  | 22. रैजिग के संबंध में छात्रों को दिशा निर्देश |



“न्याय की तराजू का सम्मान  
विधि के प्रत्येक विद्यार्थी का आदर्श होना चाहिए”  
नवीन सत्र में सफलता की हार्दिक शुभकामनाएँ

**डी.एस.चौरड़िया**

अध्यक्ष

शासी निकाय, ज्ञानमंदिर महाविद्यालय, नीमच



ज्ञानमंदिर विधि महाविद्यालय अपने 58 वर्ष पूर्ण कर चुका है विगत वर्षों में महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कई विद्यार्थी न्यायिक सेवा में कार्यरत हैं एवं कई वकालत, अध्यापन के क्षेत्र में अग्रणी हैं। महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति का पद प्राप्त कर चुके हैं, यह हमारी संस्था के लिये गौरव की बात है। वर्तमान समय में कानून की शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक हो गई है, व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी विभिन्न कम्पनियों में कानून की शिक्षा प्राप्त किये हुए विधि विशेषज्ञों की बहुत आवश्यकता है। कानून की पढ़ाई छात्र-छात्राओं के जीवन में विशेष उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त करे - ऐसी शुभकामना है।

**राजेश मानव**

सचिव

ज्ञानमंदिर महाविद्यालय प्रबंध समिति, नीमच



## निवेदन

ज्ञानमंदिर महाविद्यालय निरंतर 58 वर्षों से विधि अध्यापन के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है विक्रम विश्वविद्यालय में इस महाविद्यालय को एक श्रेष्ठ महाविद्यालय के रूप में पहचाना जाता है, महाविद्यालय में विधि प्राध्यापक विद्यार्थी को अध्ययन में पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। नियमित कक्षाओं के अलावा परीक्षा की तैयारी हेतु अतिरिक्त कक्षाएँ भी लगाई जाती हैं। स्टाफ के सक्रिय सहयोग का ही परिणाम है कि इस महाविद्यालय के छात्र मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। गत वर्ष एल-एल. बी. प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत रहा तथा एल-एल. बी. तृतीय सेमेस्टर का परिणाम 95 प्रतिशत रहा व एल-एल. बी. पंचम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम भी 85 प्रतिशत रहा है। विधि के सुचारु अध्यापन हेतु अच्छे विधि प्राध्यापकों की सेवाएं ली जाती हैं। इस महाविद्यालय का विधि के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान है, महाविद्यालय के कई पूर्व छात्र विधि के क्षेत्र में व अन्य कई क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाये हुए हैं जिसकी सूची काफी लम्बी है। यहां इतना कहना पर्याप्त होगा कि भारत वर्ष में विधि पुस्तकों के लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त व कई सम्मानों से सम्मानित श्री बसंतिलाल जी बाबेल इसी महाविद्यालय के विधि के छात्र रहे हैं व विश्वविद्यालय की प्राविण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इसी प्रकार महाविद्यालय के छात्र चंचल बाहेती ने भी वर्ष 2005-06 में प्राविण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। वहीं वर्ष 2006-07 में महाविद्यालय के छात्र अभिषेक जैन ने विश्वविद्यालय की प्राविण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर इस महाविद्यालय और नीमच को गौरवान्वित किया है। कु. चेतना गेहलोत ने वर्ष 2007-08 में व कु. वर्षा काछवाल ने 2008-2009 में विश्वविद्यालय की प्राविण्य सूची में क्रमशः आठवां व दसवां स्थान प्राप्त किया है। कु. यशा नाहर ने 2011-12 में विश्वविद्यालय की प्राविण्य सूची में पांचवा स्थान प्राप्त किया है। विक्रम विश्वविद्यालय की वर्ष 2017 की एल-एल.बी. प्राविण्य सूची में कु. रूचि वर्मा ने द्वितीय एवं क्षितिज सुराना ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। श्रीमती शालिनी अग्रवाल ने एल-एल-बी. 2018 की विक्रम वि.वि. की प्राविण्य सूची में प्रथम स्थान (स्वर्णपदक) प्राप्त किया। महाविद्यालय कि छात्रा (सत्र 2017-18) कु. किरण मलिक का चयन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर हुआ है। महाविद्यालय की पूर्व सहायक प्राध्यापक सुश्री शीनी जैन का चयन व्यवहार न्यायाधीश के पद पर हुआ है। महाविद्यालय के सत्र 2019-20 के विद्यार्थी राजेन्द्र देवड़ा का चयन वर्ष 2024 में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर हुआ।

### पालकों से विशेष आग्रह-

महाविद्यालय परिवार के द्वारा इस बात का सतत् प्रयास किया जाता है कि संस्था का वातावरण शुद्ध, मधुर एवं शांतिप्रिय रहे जैसा कि शैक्षणिक संस्था के लिये आवश्यक है इस महत्वपूर्ण कार्य में पालकों का सतत् सहयोग आवश्यक है। विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के पश्चात पालक अपने दायित्व की इति श्री हो गई है ऐसा समझ लेते हैं जो ठीक नहीं है, पालक महाविद्यालय से सतत् संपर्क बनाये रखें ताकि उनका नियंत्रण भी उपयोगी भूमिका अदा कर सकें तथा कम उपस्थिति के कारण या अन्य किसी कारण या अनुशासन हीनता के कारण उत्पन्न स्थिति में विद्यार्थी को दण्डित करने की आवश्यकता ही न पड़े। महाविद्यालय ऐसी संस्था है जहां आने वाली पीढ़ियों का निर्माण होता है इसलिये उसकी शुद्धता, पवित्रता किसी धार्मिक स्थान से कम नहीं है। महाविद्यालय की शुद्धता और पवित्रता कायम रखने में पालक गण भी सहयोग करेंगे ऐसी अपेक्षा है।

अंत में बदलते परिवेश में उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार की अति आवश्यकता है इसके लिये विद्यार्थियों का सहयोग व सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है इसके बिना सफलता संभव नहीं है। वर्तमान में श्री डी. एस. चौरडिया शासी निकाय के अध्यक्ष, श्री राजेश मानव प्रबंध समिति के सचिव एवं श्री प्रेमप्रकाश जैन कोषाध्यक्ष हैं एवं उनके व प्रबंध समिति के माननीय सदस्यगण के मार्गदर्शन में यह महाविद्यालय निरंतर प्रगति कर रहा है एवं आगे भी करता रहेगा। मैं युवा पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य एवं उच्च स्तरीय विधि शिक्षा के लिये संकल्पित हूँ।

डॉ. विवेक नागर  
प्राचार्य



## ज्ञानमंदिर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)

### शासी निकाय

1. श्री डी.एस. चौरड़िया (अध्यक्ष)
2. डॉ. विवेक नागर (प्राचार्य पदेन सचिव )
3. श्री प्रेमप्रकाश जैन (प्रतिनिधि साधारण सभा)
4. श्री विजय शंकर शर्मा (प्रतिनिधि साधारण सभा)
5. श्री सत्यनारायण गगरानी (दानदाता प्रतिनिधि)
6. डॉ. नवीन चौहान (स्टाफ प्रतिनिधि)
7. डॉ. वर्षा काछवाल (स्टाफ प्रतिनिधि)
8. डॉ. राजेश टेलर (वि.वि. प्रतिनिधि)
9. डॉ. एस.एन. शर्मा (वि.वि. प्रतिनिधि)
10. श्रीमान अतिरिक्त संचालक महोदय उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग/श्रीमान प्राचार्य महोदय अग्रणी महाविद्यालय, नीमच (शासकीय प्रतिनिधि)

### साधारण सभा

1. श्री डी.एस. चौरड़िया (अध्यक्ष)
2. श्री विजयशंकर शर्मा (सदस्य प्रशासिका)
3. श्री सतीशचन्द्र गोयल
4. श्री सत्यनारायण गगरानी
5. श्री नाहर सिंह राठौर
6. श्री प्रेमप्रकाश जैन (सदस्य प्रशासिका एवं कोषाध्यक्ष)
7. श्री राजेश मानव (मंत्री-साधारण सभा)
8. श्री प्रो. रतनलाल जैन
9. श्री प्रो. अख्तर अली शाह
10. श्री सुमित जिन्दाणी



## ज्ञानमंदिर महाविद्यालय नीमच (म. प्र.)

### महाविद्यालय परिवार

#### प्राचार्य

डॉ. विवेक नागर (एम.ए., एल.एल.एम.), पी.एच.डी. (लॉ)

नाम	योग्यता	पद	फोन नं.
<b>सहायक प्राध्यापक</b>			
1- श्री अरविन्द कुमार गुसा	एम.काम., एल.एल.एम.	सहायक प्राध्यापक	91111 11111
2- डॉ. नवीन चौहान	एल-एल.एम, पी.एच.डी. (लॉ)	सहायक प्राध्यापक	91111 11111
3- डॉ. वर्षा काछवाल	एल-एल.एम. पी-एच.डी (लॉ)	सहायक प्राध्यापक	91111 11111
4- श्री शोएब खान	एल-एल.एम., सेट	सहायक प्राध्यापक	91111 11111
5- सुश्री कृतिका द्विवेदी	एल-एल.एम	सहायक प्राध्यापक	91111 11111
<b>ग्रंथालय</b>			
1- श्रीमती नमिता पाराशर	एम. काम, बी एड, एम. लिब..	ग्रंथपाल	91111 11111
<b>कार्यालयीन स्टॉफ</b>			
1- श्री घनश्याम भटनागर	बी.कॉम पी.जी.डी.सी.ए.	मुख्य लिपिक एवं लेखापाल	91111 11111
2- श्री प्रवीण पाटीदार	एम.कॉम., एल-एल.एम. कम्प्यूटर ओ. लेवल	कार्यालय सहायक / ऑनलाईन कार्य प्रभारी	91111 11111
<b>अन्य सहयोगी स्टॉफ</b>			
1- श्री संजय कैथवास		भृत्य	91111 11111
2- श्री अर्जुन सिंह		भृत्य	91111 11111





## 1. महाविद्यालय का परिचय

ज्ञानमन्दिर महाविद्यालय नीमच, 1965 से विधि कक्षाएँ संचालित करता चला आ रहा है महाविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से सम्बद्धता प्राप्त है। यहाँ त्रिवर्षीय एल. एल. बी. पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। महाविद्यालय का अपना निजी भवन है, समृद्ध ग्रंथालय है जिसमें लगभग 22762 से अधिक पुस्तकें व ई-जर्नल की सुविधा हैं। यह महाविद्यालय इंटरनेट से भी जुड़ा हुआ है। महाविद्यालय के विद्यार्थी शैक्षणिक और शैक्षणिकोत्तर गतिविधियों में विश्व-विद्यालय व राज्य स्तर पर उपलब्धियाँ अर्जित करते रहे हैं। महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम सदैव सर्वोत्कृष्ट रहा है। नीमच जिला मुख्यालय होकर तीन ओर से राजस्थान राज्य से घिरा हुआ है इस लिए इस महाविद्यालय में मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्य के विद्यार्थी विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। नीमच पश्चिमी रेलवे के नीमच रेलवे स्टेशन से तथा महु-नसीराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है और पूरे देश से नीमच का सीधा संपर्क है।

## 2. प्रवेश नियम

(विधि में प्रवेश बी.सी.आई के नियम अनुसार दिया जायेगा महाविद्यालय में प्रवेश मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार दिया जाएगा।)

### 2.1 विधि में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा बी.सी.आई के नियमानुसार

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक कक्षा में 45% अंक सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हेतु 42% अंक अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हेतु तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग के विद्यार्थियों के हेतु 40% प्राप्तांक होगी।

### 2.2 प्रवेश हेतु अनर्हतायें/अपात्रतायें

(क) जिन आवेदकों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो/ या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/ अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप

हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो तो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने के लिए प्राचार्य अधिकृत नहीं है।

(ख) महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश देने के लिए अधिकृत नहीं है।

### 3. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र:-

आवेदकों को चाहिए कि निर्धारित प्रवेश आवेदन पत्र स्वयं अपने हाथ से भरकर आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कर कार्यालय में प्रस्तुत करें अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा आवेदन पत्र के साथ निम्न लिखित प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है

1- अर्हकारी परीक्षा की अंक सूची की सत्यापित प्रतिलिपि

2- चरित्र प्रमाण पत्र

3- जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिये

मेट्रिक या हायर सेकेन्डरी का प्रमाण पत्र या अंक सूची की सत्यापित प्रतिलिपि

4- पिछली संस्था छोड़ने का प्रमाण पत्र (केवल नवीन प्रवेशार्थियों के लिये)

5- अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों के लिये जाति प्रमाण पत्र की मूल एवं सत्यापित प्रतिलिपि (डिजिटल)

6- आय का प्रमाण पत्र डिजिटल (स्व प्रमाणित)

(अनुसूचित जाति - जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग)

7- अध्ययन काल के दौरान अध्ययन रुका हो (गेप ईयर) तो उस अवधि में कहीं किसी महाविद्यालय में अध्ययन नहीं किया है इस आशय का स्व. प्रमाणित शपथ पत्र।

8- पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो आवेदन पत्र पर चिपकाया जावे।

9- विक्रम विश्वविद्यालय से भिन्न किसी विश्वविद्यालय से आने वाले प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को उक्त प्रमाण पत्रों के अलावा निम्न प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(अ) पात्रता प्रमाण पत्र (ब) माइग्रेशन प्रमाण पत्र

(स) ऐसा शपथ पत्र कि विद्यार्थी नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षाओं में उपस्थित रहकर न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति की पूर्ति करेगा। (महाविद्यालय द्वारा दिये गये प्रारूप में)

10- यदि प्रवेशार्थी विक्रम विश्वविद्यालय में नामांकित है तो भी उसे प्रवेश के पश्चात नामांकन आवेदन पत्र आनलाईन भरना होगा व उसकी प्रति महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगी व नामांकन शुल्क देना होगा।

11- मतदाता परिचय पत्र की फोटो कॉपी।

12- एंटी रैगिंग संबंधी शपथ पत्र की प्रति।

13- ऑनलाईन पंजीयन की प्रति एवं ऑनलाईन महाविद्यालय आवंटन पत्र की प्रति (केवल नवीन प्रवेशार्थियों के लिये)

14- अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जिसकी वांछा आवेदन पत्र में की गई हो।

**नोट:-** 1- प्रवेश के समय अंक सूचियों/

प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना भी आवश्यक है। 2- आवेदन पत्र में तथ्य छिपाने अथवा गलत जानकारी देने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

3- विक्रम विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों से विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से प्राप्त पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही महाविद्यालय द्वारा प्रवेश देने के संबंध में विचार किया जा सकेगा। पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित छात्र का है दूसरे विश्वविद्यालयों से इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को प्रवजन प्रमाण पत्र व पात्रता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लाकर महाविद्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। विद्यार्थियों को महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (टी.सी.) प्रवेश के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यदि किसी विद्यार्थी की अंक सूची किसी कारण वश विक्रम विश्वविद्यालय से जारी नहीं होती है, तो इसके लिये महाविद्यालय प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा। पात्रता प्रमाण पत्र, मूल टी. सी. विद्यार्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा में जमा न करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

स्मरण रहे परीक्षा के लिये किसी विद्यार्थी कि उपस्थिति की गणना कक्षा प्रारंभ होने की तिथि से ही की जायेगी न कि विद्यार्थी के प्रवेश लेने के दिनांक से। विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि वे कक्षाओं में नियमित अध्ययन करें विद्यार्थियों की निजी कठिनाईयों के कारण समय तालिका में परिवर्तन संभव नहीं होगा व महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अपनी सुविधानुसार महाविद्यालय का समय निर्धारित किया जायेगा प्रवेश केवल नियमों के अंतर्गत ही संभव है इस हेतु विद्यार्थी अनुचित दबाव डालने की चेष्टा न करें।



**4. प्रवेश की संख्या-**

महाविद्यालय में निम्नानुसार निर्धारित संख्या तक प्रवेश दिये जायेंगे।

1- एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में कुल सीट 160

2- एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण/एटी केटी प्राप्त छात्र आगामी कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

**5. पाठ्यक्रम-**त्रिवर्षीय एल.एल.बी. (विधि में स्नातक डिग्री)

एल.एल.बी. I, III, V सेमेस्टर 1 जुलाई से एवं II, IV, VI सेमेस्टर 1 जनवरी से प्रारंभ होगा।

एल.एल.बी. प्रथम वर्ष प्रथम सेमिस्टर:- प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा।

प्रश्न पत्र- 1 संविदा प्रथम (संविदा के सामान्य सिद्धांत धारा 1 से 75 और विशिष्ट अनुतोष)

Contract - 1[General Principles of Contract Sec 1 to75 and specific relief]

प्रश्न पत्र- 2 संविदा द्वितीय (भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय भागिता अधिनियम, माल विक्रय अधिनियम और अन्य विशिष्ट संविदायें)

Contract - 2[Indian Contract Act, Indian partnership Act, sale of Goods Act and other specific Contract ]

प्रश्न पत्र-3 दुष्कृति और उपभोक्ता संरक्षण विधि

Law of Torts and Consumer Protection Law

प्रश्न पत्र-4 अपराध विधि

Law of Crimes

एल.एल.बी. प्रथम वर्ष व द्वितीय सेमिस्टर:-

प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा।

प्रश्न पत्र- 5 विधि शास्त्र

Jurisprudence

प्रश्न पत्र- 6 संवैधानिक विधि

Constitutional Law

प्रश्न पत्र-7 पारिवारिक विधि प्रथम (हिन्दू लॉ)

Family Law -1 [Hindu Law]

प्रश्न पत्र- 8 पारिवारिक विधि द्वितीय (मुस्लिम लॉ)

Family Law - 2 [Muslim Law]

प्रश्न पत्र- 9 जनहित पैरवी

Public interest Lawyering

एल.एल.बी. द्वितीय वर्ष तृतीय सेमिस्टर :

प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा।

प्रश्न पत्र- 1 संपत्ति विधि (जिसमें सम्मिलित है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम और सुखाधिकार अधिनियम)

Property Law including Transfer of Property Act and Easement Act

प्रश्न पत्र- 2 कम्पनी विधि

Company Law

प्रश्न पत्र- 3 भारतीय विधिक एवं संवैधानिक इतिहास

Indian legal and Constitutional History

प्रश्न पत्र- 4 अपराध शास्त्र और दण्ड शास्त्र

Criminology and Penology

एल.एल.बी. द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमिस्टर:-

सेमिस्टर -1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 मई तक का होगा

प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा।

प्रश्न पत्र- 5 प्रशासनिक विधि

Administrative Law

प्रश्न पत्र- 6 साम्य एवं न्याय

Equity and Trust

प्रश्न पत्र-7 मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय विधि

Human Rights and international Law

प्रश्न पत्र- 8 श्रमिक विधियां

Labour Laws

प्रश्न पत्र- 9 व्यवसायिक नीति शास्त्र, अभिभाषकों की जवाब देही और बार बैच संबंध

Professional Ethics, Accountability for Lawyers and Bar Bench Relations

एल-एल.बी. तृतीय वर्ष पांचवा सेमिस्टर:-

प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा।

प्रश्न पत्र- 1 दण्ड प्रक्रिया संहिता, किशोर न्याय अधिनियम और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम Criminal Procedure Code, Juvenile Justice Act and Probation of Offenders Act

प्रश्न पत्र- 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता और मर्यादा अधिनियम

Code of Civil Procedure and Limitation Act

प्रश्न पत्र- 3 साक्ष्य विधि

Law of Evidence

प्रश्न पत्र- 4 विधि में व्यवहारिक प्रशिक्षण

Practical Training in Law

प्रश्न पत्र- 5 भूमि विधियां (म.प्र. भू राजस्व व संहिता एवं म.प्र अधिकतम सीमा अधि.और स्थान नियंत्रण विधान )

Tenancy Law and M.P. Accomodation control Act)and ceiling act

एल-एल.बी. तृतीय वर्ष छठा सेमिस्टर :-

सेमिस्टर 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 मई तक का होगा प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा।

प्रश्न पत्र- 6 मध्यस्थता, सुलह और वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली

Arbitration Conciliation and alternate dispute resolution system.

प्रश्न पत्र- 7 पर्यावरण विधि

Environmental Law

प्रश्न पत्र- 8 संविधियों का निर्वचन

Interpretation of statutes

प्रश्न पत्र- 9 विधिक भाषा/विधिक में सम्मिलित है सामान्य अर्बोजी

Legal language/Legal including general English

प्रश्न पत्र- 10 मूट कोर्ट विचारण पूर्व तैयारी और विचारण में भागीदारी

Moot Court, Pre Trial Preparations and Participation in trial Proceedings



\* परीक्षा योजना में विश्वविद्यालय द्वारा संशोधन किया जा सकता है।  
\* विस्तृत परीक्षा योजना के लिये विद्यार्थी विक्रम विश्व विद्यालय की वेबसाईट का अवलोकन करें।



## 6. सिलेबस :

एल-एल.बी. प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष सिलेबस यू.जी.सी. के प्रादर्श प्रारूप अनुसार , बार कौंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार एवं विक्रम विश्वविद्यालय विधि संकाय द्वारा मान्य एवं स्वीकृत प्रारूप अनुसार होगा जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जायेगा। इसलिए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया सिलेबस अनिवार्यतः देखकर ही अपना अध्ययन करना चाहिए।

## 7. परिचय पत्र-

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक विद्यार्थी को एक परिचय पत्र दिया जावेगा। प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय पत्र अपने पास रखना चाहिये एवं महाविद्यालय परिसर में उपस्थिति होने के दौरान किसी भी समय परिचय पत्र मांगने पर दिखाना अनिवार्य है व ग्रंथालय से पुस्तक प्राप्त करते समय, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु, खेल विधाओं में भाग लेने हेतु, कॉशन मनी वापस लेते समय भी परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य है परिचय पत्र खो जाने पर नया परिचय पत्र रू. 200/- जमा कराने व आवेदन करने पर दिया जायेगा।



## 8. ड्रेस कोड (यूनिफार्म) अनिवार्य

महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये ड्रेस कोड (यूनिफार्म) निम्नानुसार रहेगा -

### समस्त विद्यार्थियों के लिये-

काली पेंट, सफेद शर्ट, काली टाई, काला कोट, काले मोजे एवं काले जूते।

**छात्राओं के लिये (विकल्प में)** काली साडी (प्रिन्टेड) पूरी बाँह का ब्लाउज, काले जूते या सफेद सलवार-सूट एवं काला दुपट्टा एवं काला कोट।

## 9. शुल्क विवरण-

### एल-एल.बी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम-

(अ) एल-एल.बी. में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वार्षिक शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है:-

### रूपये

प्रवेश शुल्क	025
शिक्षण शुल्क	144
ग्रंथालय शुल्क	1500
विकास शुल्क	2000
विधि शुल्क	6000
अनुरक्षण शुल्क	2000
अमानत राशि	300
छात्र सहायता कोष शुल्क	028
बौद्धिक गतिविधियां शुल्क	400
छात्र संघ शुल्क	200
क्रीड़ा शुल्क	120
स्थानीय परीक्षा शुल्क	100
स्नेह सम्मेलन/सेमिनार शुल्क	300
वाहन स्टेण्ड शुल्क	100
अतिथि अध्यापन शुल्क	3000
सम्बद्धता शुल्क	1500
विद्यार्थी सुरक्षा बीमा	13
परिचय पत्र शुल्क	50
बार कौंसिल ऑफ इंडिया पंजीयन शुल्क	100
राष्ट्रीय सेवा योजना (स्ववित्तीय) शुल्क	120

### योग

**18000**

(ब) म.प्र. राज्य से बाहर आने वाले विद्यार्थियों के लिए पंजीयन विक्रम विश्वविद्यालय उच्चैज के पत्र क्रमांक/प्रशा./सम्मि./02/661दिनांक 13-6-2002 के अनुसार म.प्र. के बाहर के विश्वविद्यालयों से

विधि संकाय की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों से पंजीयन शुल्क लिया जायेगा जिसका विवरण इस प्रकार है:-

(1) प्रांत से बाहर के विश्वविद्यालय से आये छात्रों को रनातक एल-एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय निम्नानुसार प्रवेश शुल्क देना होगा:-

(अ) प्रवेश के समय विश्वविद्यालय पंजीयन शुल्क 4010 रू. जो विद्यार्थी स्वयं विश्वविद्यालय का आनलाईन जमा कर पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा -

(ब) महाविद्यालयीन पंजीयन शुल्क 2500 रू.

(2) प्रत्येक आगामी वर्ष

(क) वि.वि. पंजीयन शुल्क 500 रू.

(ख) महाविद्यालयीन पंजीयन शुल्क 400 रू.

उक्त शुल्क जमा होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

### नोट:-

1. विश्व विद्यालय द्वारा शुल्क में परिवर्तन करने पर परिवर्तित शुल्क देय होगा।

### (स) अन्य शुल्क -

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र 100

चरित्र प्रमाण पत्र 50

डुप्लीकेट परिचय पत्र 200

### (द) अमानत निधि के संबंध में नियम -

1. विद्यार्थियों को अमानत राशि की रसीद सम्भाल कर रखनी चाहिए। 2. महाविद्यालय में जिन छात्रों की अमानत निधि जमा है और वे उत्तीर्ण हो कर अगली कक्षा में प्रविष्ट होने वाले हैं उन्हें अमानत राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं है

2. अमानत राशि महाविद्यालय छोड़ने पर ही लौटाई जाएगी और इससे पूर्व महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा

3. अमानत राशि महाविद्यालय छोड़ने के बाद तीन वर्ष की अवधि में वापस ले ली जाए अन्यथा तीन वर्ष की अवधि के बाद अमानत राशि नहीं लौटाई जाएगी।

4. अमानत राशि वापसी हेतु निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ अमानत राशि जमा कराने की रसीद तथा कोई शेष नहीं (नोड्युज) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।



### (इ) शुल्क से संबंधित अन्य नियम -

1. विद्यार्थियों को शुल्क में यदि कोई छूट बाद में शुल्क जमा करने की समयावधि बाबत दी गई है तो निर्धारित समयावधि में शेष शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त समझा जावेगा और उन्हें परीक्षा फार्म भरने से वंचित कर दिया जावेगा और अगर परीक्षा फार्म भर भी दिया हो तो उसे परीक्षा में बैठने से वंचित करने का अधिकार महाविद्यालय को होगा।

2. फीस कार्ड : विद्यार्थियों को प्रवेश आवेदन के साथ फीस कार्ड दिया जावेगा। जिसमें महाविद्यालय को भूगतान की गई फीस की इंटी, चालान/रसीद दिखाकर लेखापाल से करवाना अनिवार्य है।

### 10. छात्र परिषद -

महाविद्यालय में छात्र परिषद का गठन म.प्र. शासन एवं विक्रम विश्वविद्यालय उच्चैयन द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा

### 11. अध्यापन-

1- महाविद्यालय में कक्षाओं का अध्यापन कार्य सामान्यतः माह जुलाई अथवा मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग की समय-सारणी अनुसार प्रारंभ होगा।

2. परीक्षा के पूर्व से विशेष अध्यापन हेतु ट्यूटोरियल कक्षाएं लगाई जावेगी जिसमें विद्यार्थी अपनी समस्याओं का समाधान तो कर ही सकेगें विषय का रिविजन भी हो जावेगा। ये कक्षाएं नियमित कक्षाओं के अतिरिक्त होगी इसीलिए किन्ही कारणों से किसी विद्यार्थी की वांछित उपस्थित महाविद्यालय में पूर्ण नहीं हो तो वह भी उसे पूरा कर सकेगा।

### 12- खेल कूद-

महाविद्यालय में वर्तमान में टेबल टेनिस, बेडमिन्टन, शतरंज, एथलेटिक्स, आदि खेल विधाओं की सुविधा विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है विगत वर्षों में महाविद्यालय के कई प्रतिभावान विद्यार्थियों ने नीमच जिले का विश्वविद्यालय में प्रतिनिधित्व कर महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया है।

### खिलाडियों के लिए निर्धारित पात्रता नियम-

1. विक्रम विश्व विद्यालय उच्चैयन द्वारा बनाये

गये सभी पात्रता नियम इस महाविद्यालय पर लागू होंगे

2. खिलाड़ी छात्रों को खास तौर से ध्यान रखना होगा कि

(अ) 1 जुलाई 2024 को 25 वर्ष से अधिक आयु न हो

(ब) किसी भी कक्षा में 2 वर्ष से अधिक न रहा हो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण किये 7 वर्षों से अधिक न हुए हो या मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए 8 वर्षों से अधिक न हुए हो

3. विद्यार्थी की पात्रता विश्व विद्यालय में प्रथम अंकित नामांकन के आधार पर मान्य होगी।

4. किसी भी शासकीय अर्द्ध शासकीय संस्थान से पूर्ण कालिक या अंश कालिक या दैनिक वेतन भोगी विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगें।

5. महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते समय प्राचार्य द्वारा प्रमाणित परिचय पत्र फोटो लगा हुआ खिलाड़ी अपने साथ रखेंगे।

6. खेल संबंधी अन्य नियम खेलकूद प्रतियोगिता मार्ग दर्शिका म.प्र शासन के अनुसार लागू होंगे।

7. गलत जानकारी देने पर खिलाड़ी विद्यार्थी महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकेगा। प्रथम वर्ष प्रथम बार के चयन प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों को चयन के पूर्व निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(अ) विद्यार्थी विद्यालय में संबंधित खेल का दलीय स्तर का खिलाड़ी रहा हो।

(ब) किसी मान्य संस्था का सदस्य होकर जिला संभाग या राज्य स्तर पर किसी मान्य प्रतियोगिता में सम्मिलित हो।

सम्पूर्ण शुल्क यदि कोई हो जमा करना अनिवार्य होगा बीच अध्ययन छोड़ देने पर भी बाकी शुल्क की वसूली महाविद्यालय द्वारा की जा सकेगी।

4. शुल्क की दरें शासन, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रबंधन समिति के आदेशानुसार परिवर्तनीय है।

### 13. ग्रंथालय -

ग्रंथालय किसी भी शिक्षण संस्था का हृदय होता है। ग्रंथालय में उपलब्ध साहित्यकी गुणवत्ता व

समृद्धता ही शिक्षण संस्था की उत्कृष्टता की पहचान होती है। हर दृष्टिकोण से देखें तो ज्ञान मंदिर महाविद्यालय ग्रंथालय में उपलब्ध साहित्य उच्च कोटि का है। ग्रंथालय को समृद्ध बनाने में महाविद्यालय की प्रबंध समिति, प्राचार्य, ग्रंथपाल एवं प्राध्यापकों ने काफी योगदान दिया है। ग्रंथालय में विधि के राष्ट्रीय स्तर के 7 जर्नल राज्य स्तर के 6 जर्नल क्रय किये जा रहे हैं। पुस्तक आदान-प्रदान करने का समय ग्रंथपाल द्वारा तय किया जाता है। विद्यार्थी महाविद्यालय के समय में ग्रंथालय में बैठकर भी अध्ययन कर सकते हैं।

ग्रंथालय से संबंधित नियम निम्नानुसार है। इनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

1. ग्रंथालय का समय प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक है।

2. विद्यार्थी अपराह्न 1.00 बजे से 4.00 बजे तक ग्रंथालय अध्ययन कक्ष में बैठकर भी अध्ययन कर सकते हैं।

3. विद्यार्थियों को दो (2) पुस्तकें 30 दिन के लिये दी जायेगी।

4. जो विद्यार्थी सेमिस्टर परीक्षा परिणाम आने से पूर्व ग्रंथालय से पुस्तकें लेना चाहते हैं उन्हें अमानत निधि 500 रु. जमा करने पर 2 पुस्तकें 30 दिन के लिये दी जायेगी।

5. नियत तिथि या उसके पूर्व पुस्तकें जमा करना अनिवार्य होगा। नियत तिथि के पश्चात पुस्तकें जमा करने पर 1 रुपये प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क देना होगा।

6. ग्रंथालय से पुस्तकें प्राप्त या जमा करते समय परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परिचय पत्र न होने पर पुस्तकें नहीं दी जायेंगी।

7. कोई भी विद्यार्थी किसी अन्य विद्यार्थी के नाम से पुस्तकें प्राप्त नहीं कर सकेगा।

8. जिन विद्यार्थियों ने गत सेमिस्टर की पुस्तकें जमा नहीं की है उन्हें नवीन सेमिस्टर में पुस्तकें नहीं दी जायेंगी।

9. सेमिस्टर के अन्त में परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ग्रंथालय से नोड्यूस प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। सेमिस्टर परीक्षा से पूर्व ग्रंथालय से प्राप्त की गई पुस्तकें, अमानत निधि पर प्राप्त पुस्तकें परीक्षा समाप्ति से एक सप्ताह में जमा करना अनिवार्य है।



10. अमानत निधि वापस हेतु डी गई रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य है। रसीद के अभाव में प्राचार्य की अनुमति से ही भुगतान हो सकेगा।

11. पुस्तकगुम हो जाने की दशा में नवीन पुस्तक या उसका वर्तमान मूल्य जमा करना होगा।

12. ग्रंथपाल द्वारा निर्देशित करने पर विद्यार्थी को संबंधित पुस्तक तुरन्त पुस्तकालय में जमा करनी होगी।

13. पुस्तकें प्राप्त करते समय विद्यार्थी ग्रंथपाल के निर्देशों का पालन करेंगे।

14. ग्रंथालय में पुस्तकें बड़ी मेहनत से एकत्रित की गई है। इन्हें भावी पीढ़ी के लिये सुरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि अनुशासन में रहकर ग्रंथालय में जो भी प्रलेख उनके अध्ययन हेतु सुलभ हैं। उनसे अधिकतम लाभ प्राप्त करें।

15. पुस्तकें प्राप्त करते समय विद्यार्थी ग्रंथपाल के अनुशासन में रहेंगे।

16. महाविद्यालय में ई- लायब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। विद्यार्थी A.I.R. Online पढ़ सकते हैं।

**पुस्तकें प्रदाय संबंधी अन्य नियम-** ग्रंथपाल द्वारा समय-समय पर सूचना पटल पर लगाए जायेंगे।

#### 14. पुरस्कार -

विश्वविद्यालयीन परीक्षा में प्रत्येक वर्ष की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के स्नेह सम्मेलन के अवसर पर आयोजित समारोह में सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाता है इसी तरह वर्ष भर महाविद्यालय की साहित्यिक, सांस्कृतिक खेलकूद आदि अन्य गतिविधियों में प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त विद्यार्थी को भी वार्षिक उत्सव के अवसर पर पुरस्कृत किया जायेगा। विश्वविद्यालय की प्राविण्य सूची में प्रथम आने वाले इस महाविद्यालय के छात्र को 15,000 रु. तथा प्राविण्य सूची में दूसरे से दसवें स्थान पर आने वाले महाविद्यालय के छात्र को 5,000 रु. का पुरस्कार (प्राविण्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष श्री डी.एस. चौरडियाजी द्वारा दिया जायेगा।

#### 15. छात्र सहायता -

निर्धन छात्रों को पाठ्य पुस्तकें या फीस आदि के लिये भी सहायता दी जाती है। अध्यक्ष/ प्राचार्य

पात्रतानुसार सहायता स्वीकृत करते हैं।

#### 16. विद्यार्थी सुरक्षा बीमा -

म.प्र. शासन द्वारा जनहित में किये जाने वाले कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत ही ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का सुरक्षा बीमा किया जावे। तदनुसार विद्यार्थियों का बीमा कराया जावेगा।

#### 17. छात्रवृत्तियाँ -

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को म.प्र. शासन द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिसके लिये पात्र विद्यार्थी महाविद्यालय की छात्रवृत्ति शाखा के संपर्क में रहें। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पूर्व विद्यार्थी को अपनी कक्षा में उपस्थिति का प्रमाण पत्र (प्रत्येक प्राध्यापक का) प्राचार्य को दिखाना आवश्यक है तभी प्राचार्य छात्रवृत्ति आवेदन आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेंगे। छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन प्रवेश से 15 दिवस में ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा तथा ऑनलाइन भरे गये आवेदन की प्रति के साथ आगामी कार्य दिवस को समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आगामी कार्य दिवस महाविद्यालय की छात्रवृत्ति शाखा में तत्काल जमा कराना होगा।

#### 18. वाहन स्टेण्ड -

1. महाविद्यालय में सायकलें एवं मोटर सायकलें केवल निर्धारित स्थान पर ही रखी जानी चाहिए अन्य स्थान पर रखे गये वाहनों के लिए विद्यार्थी अर्थ ढण्ड के भागी होंगे तथा वाहन की किसी प्रकार की हानि के लिए स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।
2. वाहन स्टेण्ड पर रखते समय वाहनों में ताला लगाया जाना चाहिए।
3. वाहन स्टेण्ड पर व्यवस्था हेतु भृत्य तैनात है पर वाहन की सुरक्षा का पूर्ण उत्तदायित्व विद्यार्थी का होगा।
4. स्टेण्ड की सुविधा अवकाश के दिनों में उपलब्ध नहीं रहेगी।

#### 19. लीगल एड क्लिनिक-

नीमच शहर एवं क्षेत्र के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सलाह देने के प्रयोजन से महाविद्यालय में लीगल एड क्लिनिक की स्थापना की गई है जिसमें महाविद्यालय के प्राध्यापकों में से कोई एक महाविद्यालय के समय में निःशुल्क

विधिक सलाह हेतु सदैव उपलब्ध रहता है। लीगल एड क्लिनिक पूर्णतः महाविद्यालय के नियंत्रण में होकर प्राचार्य इसके पदेन सचिव होंगे व शासी निकाय के अध्यक्ष ही इसके अध्यक्ष होंगे। लीगल एड क्लिनिक के संचालन में महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सक्रिय योगदान दिया जा रहा है। इस केन्द्र की स्थापना इस क्षेत्र के लिये निश्चय ही अन्य अभिभाषको एवं समाज सेवा संस्थाओं के लिये मार्गदर्शक साबित होगी।

**20. राष्ट्रीय सेवा योजना-** युवाओं के नेतृत्व गुण समाज सेवा एवं व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से महाविद्यालय में मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वपोषित इकाई प्रारंभ की गई है। विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक के रूप में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।

**21. अनुशासन एवं आचार संहिता-** महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त समस्त विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि महाविद्यालय की गरिमा को बनाये रखने के लिये वह पूर्ण अनुशासित रहें एवं निम्न नियमों का पालन करें।

- 1- अध्ययन एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों में अपना ध्यान लगायें एवं अपने सर्वांगीण विकास हेतु सदैव प्रयासरत रहें।
- 2- प्रतिदिन सूचना पटल/ महाविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। सभी आवश्यक जानकारियां सूचना पटल पर लगाई जाती है।
- 3- सृजनात्मक कार्यों में अपना ध्यान लगावें एवं विध्वंसक गतिविधियों से स्वयं को दूर रखें।
- 4- महाविद्यालय परिसर, पुस्तकालय, कार्यालय, अध्ययन कक्षाओं की सुरक्षा एवं स्वच्छता बनाये रखने में सहयोग प्रदान करें।
- 5- अपना आचरण सरल, निर्व्यसनी, नम्र, मितव्ययी एवं सादगी पूर्ण बनाये। महाविद्यालय की सीमा में मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
- 6- अश्लील अशोभनीय व्यवहार करने वाले अनैतिक कार्य करने वाले एवं ऐसे अन्य आरोपों से आरोपित तथा अनुशासन हिनता या विवाद करने वाले विद्यार्थियों को तत्काल निष्कासित किया जा सकता है इसलिये ऐसे कृत्यों से बचें।



7- महाविद्यालय परिसर में किसी भी स्थान पर कमरों दीवारों आदि पर कुछ भी लिखना गंभीर अनुशासन हीनता मानी जायेगी एवं इसकी पुताई रंगाई का खर्च संबंधित को वहन करना होगा।

8- किसी कठिनाई या समस्या को हल करने में हिंसा अथवा आतंक एवं आन्दोलन का मार्ग नहीं अपनारें। यदि कोई कठिनाई हो तो प्राचार्य के समक्ष निर्धारित प्रणाली से व शांति पूर्वक ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

9- वाहन निर्धारित स्थान पर ही खड़े करें।

10- परीक्षा में कभी भी अनुचित साधनों का प्रयोग न करें। परीक्षाओं के दौरान तलाशी देने से इंकार करना गंभीर दुराचरण माना जावेगा। नकल करते पकड़े जाने पर नकल प्रकरण बनाया जायेगा और पुलिस कार्यवाही भी की जा सकती है।

11- विद्यार्थी अपने व्यवहार में सहपाठियों, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों से नम्रता का व्यवहार करें एवं कभी भी अशिष्ट-अशोभनीय व्यवहार न करें।

12- आचरण के नियमों के भंग होने पर अन्य विद्यार्थी अपना दायित्व समझकर संबंधित को ढण्ड दिलाने में सहयोग देंगे ताकि महाविद्यालय का अनुशासन बना रहें एवं अध्यापन विधिवत सम्पन्न हो सकें।

13- किसी भी तथ्य नियम या सूचना की जानकारी न होना किसी भी दायित्व से मुक्त होने का आधार नहीं माना जायेगा।

14- किसी भी प्रकार की रेगिंग को ढण्डनीय अपराध माना जायेगा और ऐसे प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थियों के लिये निर्णय का आधार प्राचार्य को होगा।

15- स्वयं कक्षा में न जाना और अन्य विद्यार्थी को कक्षा में जाने से रोकना अनुशासन हीनता माना जायेगा।

16. विद्यार्थी सक्रिय ढलगत राजनीति में भाग नहीं लेंगे और अपनी समस्याओं के विषय में राजनीतिक ढलों कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं करेंगे या सहायता नहीं मांगेंगे।

17. महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में विद्यार्थी पूर्ण सहयोग दें और भाग लें तथा बिना प्राचार्य की अनुमति के कक्षाओं में अनुपस्थित न रहें व समय-समय पर सत्रीय

कार्य हेतु जो दिशा निर्देश महाविद्यालय द्वारा सूचना पट पर लगाए जायें विद्यार्थी उनका अनिवार्यतः पालन करें।

18. विद्यार्थी कक्षा में मोबाइल बंद करके ही बैठे ताकि अन्य विद्यार्थियों को अध्ययन में कोई बाधा नहीं आये।

19. विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय का पूर्ण शुल्क जमा ना करने पर विद्यार्थी परीक्षा आवेदन नहीं कर सकेगा।

20. यद्यपि महाविद्यालय द्वारा छात्र हित में सूचना पटल, वेबसाईट तथा अन्य माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएँ दी जाती हैं। लेकिन विद्यार्थी का यह दायित्व होगा कि महाविद्यालय में सूचना पटल देखें एवं प्राध्यापकों व संबंधित शाखा से महाविद्यालय में आकर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। महाविद्यालय प्रशासन विद्यार्थी को उसे परीक्षा/छात्रवृत्ति आदि सूचना ना मिलने पर उत्तरदायी नहीं होगा।

### अनुशासनात्मक कार्यवाही

म.प्र विश्वविद्यालय अधिनियम 1974 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 16 के अनुसार महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अनुशासन भंग किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्राचार्य द्वारा की जायेगी। अध्यादेश में (1) निलम्बन (2) निष्कासन (3) वि.वि. परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना (4) रेस्ट्रिकेशन के ढण्ड से ढण्डित करने का प्रावधान है।

### 22. रेगिंग के संबंध में छात्रों को दिशा निर्देश -

महाविद्यालय में रेगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित है रेगिंग के संबंध में दिशा निर्देश -

1. इस महाविद्यालय में रेगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित है।
2. नये प्रवेशित छात्र महाविद्यालयों की प्रक्रियाओं, नियमों इत्यादि के लिये वरिष्ठ छात्रों पर अपनी निर्भरता कम से कम रखेंगे।
3. रेगिंग में निम्न लिखित कार्य शामिल हैं :-
  - वरिष्ठ छात्रों को सर कहलवाना।
  - सामुहिक कवायद करवाना।
  - वरिष्ठ छात्रों हेतु कक्षा के नोट्स बनवाना।
  - अश्लील प्रश्न पूछना।
  - शारीरिक एवं मानसिक आघात पहुंचाना।

- बलपूर्वक कुछ खिलाना या पिलाना।

- छात्र से क्रूरता बरतना जिससे उसकी मृत्यु हो जाये, या उसे चोट पहुंचाना।

- ऐसे अश्लील कार्य जिससे छात्र का भ्रोलापन नष्ट हो जाये।

- बलपूर्वक मूर्खता पूर्ण या उसकी इच्छाओं के विरुद्ध कोई कार्य करवाना।

ऐसी किसी भी घटना की शिकायत कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी अभिभावक या कोई नागरिक संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को तत्काल ढर्ज कराये। प्राचार्य रेगिंग की शिकायत प्राप्त होने पर-

1. स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट ढर्ज करवा सकेगा।
2. नये प्रवेशित छात्र जो रेगिंग में संलिप्त पाये जायेंगे उनका प्रवेश निरस्त कर सकेगा।
3. पुराने छात्रों को महाविद्यालय से निष्काषित कर सकेगा।
4. यदि रेगिंग किसी पूर्व या अछात्र द्वारा किया जाता है तो वह व्यक्ति पुलिस के सुपुर्द कर दिया जायेगा।

### सूचना:-

विवरणिका में यथा संभव कोई त्रुटि न हो इसका पूर्ण प्रयास किया गया है इसलिये किसी त्रुटि के लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार नहीं रहेगा। तथा उसका लाभ विद्यार्थी को नहीं मिलेगा विद्यार्थियों को अधिकतम जानकारी देने का प्रयास किया गया है लेकिन यदि नियमों में म. प्र. शासन, बार कौंसिल ऑफ इंडिया, यू. जी. सी. एवं विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा कोई संशोधन किया गया या कोई आदेश दिया गया हो वह अधिभावी माना जायेगा और महाविद्यालय को ढोषी नहीं माना जायेगा। विद्यार्थी ने अगर सत्य जानकारीयां छिपाकर प्रवेश लिया है तो उसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा तथा किसी भी न्यायालयीन, या अन्य कार्यवाही के लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।

**ज्ञान का प्रकाश  
सभी अंधेरों को  
खत्म कर देता है।**



## सत्र 2024 - 25 हेतु महाविद्यालय की विभिन्न समितियाँ

महाविद्यालय में सत्र 2024 - 25 के लिये निम्नानुसार विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है।

1. **प्रवेश समिति :-**  
डॉ. नवीन चौहान (संयोजक/प्रभारी)  
डॉ. वर्षा काछवाल (सह- संयोजक)  
श्री प्रवीण पाटीदार (प्रवेश पोर्टल प्रभारी)
2. **यू. जी. सी. / नेक समिति :-**  
डॉ. नवीन चौहान (संयोजक)  
डॉ. वर्षा काछवाल (सदस्य)
3. **अपलेखन समिति :-**  
श्रीमती नमिता पाराशर  
श्री घनश्याम भटनागर  
श्री प्रवीण पाटीदार
4. **युवा उत्सव समिति :-**  
सुश्री वर्षा काछवाल (संयोजक)  
श्रीमती नमिता पाराशर (सह - संयोजक)  
श्री शोएब खान (सदस्य)
5. **ऐन्टी रेगिंग/अनुशासन समिति :-**  
डॉ. नवीन चौहान (प्रभारी)  
डॉ. वर्षा काछवाल (सदस्य)  
श्री शोएब खान (सदस्य)  
सुश्री कृतिका द्विवेदी (सदस्य)
6. **विधिक सहायता प्रकोष्ठ/लीगल एड क्लिनिक :-**  
डॉ. नवीन चौहान (प्रभारी)
7. **छात्रवृत्ति प्रभारी :-**  
श्री प्रवीण पाटीदार
8. **क्रीडा समिति :-**  
डॉ. नवीन चौहान (प्रभारी)  
श्री शोएब खान (सदस्य)
9. **ऑनलाईन -पोर्टल प्रभारी**  
श्री प्रवीण पाटीदार
10. **राष्ट्रीय सेवा योजना**  
श्री शोएब खान (प्रभारी)
11. **आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ (I.Q.A.C.) :-**  
(यू.जी.सी.के निर्देशानुसार गठित)  
1. डॉ. विवेक नागर- प्राचार्य/अध्यक्ष  
2. श्री राजेश मानव- समाजसेवी विशेषज्ञ  
3. डॉ. श्री एन.के. डबकरा-प्राचार्य श्री सीताराम जाजू भा. कन्या. महा. वि. नीमच-विशेषज्ञ  
4. डॉ. नवीन चौहान - सहा.प्रा. /समन्वयक  
5. डॉ. वर्षा काछवाल- सहा.प्रा. / सदस्य  
6. श्री शोएब खान - सहा. प्रा. /सदस्य  
7. श्रीमती नमिता पाराशर - ग्रन्थपाल / सदस्य



# कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती

-सोहनलाल द्विवेदी

लहरों से डर कर  
नोंका पार नहीं होती,  
कोशिश करने वालों  
की कभी हार नहीं होती,

नन्ही चींटी जब दाना  
लेकर चलती है,  
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है.  
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है,  
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना  
न अखरता है.  
आखिर उसकी मेहनत  
बेकार नहीं होती,  
कोशिश करने वालों की कभी  
हार नहीं होती,

डुबकियां सिंधु में गोताखोर  
लगाता है, जा जा कर खाली  
झंथ लौटकर आता है.  
मिलते नहीं सहज ही मोती  
गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह  
इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली  
हर बार नहीं होती, कोशिश करने  
वालों की कभी हार नहीं होती.

असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो,  
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो,  
जब तक सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम,  
संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम,  
कुछ किये बिना ही जय जय कार नहीं होती,  
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,

विक्रम विश्वविद्यालय की एल-एल.बी.  
प्राविण्य सूची में स्थान प्राप्त विद्यार्थी

## महाविद्यालय के गौरव



ब  
शा  
ई

कु. रुचि वर्मा  
प्राविण्य सूची में द्वितीय स्थान



ब  
शा  
ई

क्षितिज सुराना  
प्राविण्य सूची में द्वितीय स्थान



ब  
शा  
ई

श्रीमती शालिनी अरवाला  
विक्रम वि. वि. 2018 प्राविण्य सूची में प्रथम  
स्थान (स्वर्णपदक प्राप्त)



कु. किरण मलिक  
सिविल जज वर्ग-2 के पद पर चयन

राजेन्द्र देवड़ा  
महायक जिला लोक अभियोजन  
अधिकारी के पद पर चयनित 2024





# स्वतंत्रता दिवस 2023 की झलकियां





# गणतंत्र दिवस 2024 की झलकियां





सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर योगदान हेतु  
माननीय विधायक महोदय एवं माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा सम्मान





मतदाता जागरूकता अभियान 2024



गणतंत्र दिवस पर छात्रा को पुरस्कृत करते हुए  
शासी निकाय सदस्य



**मध्यप्रदेश गान**




सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है  
 माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है ।

विंध्याचल का भाल नर्मदा का जल जिसके पास है,  
 यहां ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है ।  
 उर्वर भूमि सगन वन रत्न संपदा जहा अशेष है ।  
 स्वर-सौरभ-सुषमा से मंडित मेरा मध्यप्रदेश है ।

सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है  
 माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है

क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ,  
 महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ है ।  
 कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है  
 हृदय देश का यह, मैं इसका, मेरा मध्यप्रदेश है ।

सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश  
 माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है ।



# मूट कोर्ट की झलकियां



ज्ञानमंदिर विधि महाविद्यालय नीमच, (म.प्र.)



ज्ञानमंदिर विधि महाविद्यालय नीमच, (म.प्र.)



सारे काम छोड़ दो,  
सबसे पहले वोट दो।  
राष्ट्रीय सेवा योजना  
ज्ञानमंदिर (विधि) महाविद्यालय, नीमच  
मतदाता जागरूकता दिवस



ज्ञानमंदिर विधि महाविद्यालय, नीमच  
संविधान दिवस  
26 नवम्बर



ज्ञानमंदिर विधि महाविद्यालय, नीमच  
राष्ट्रीय युवा दिवस  
युवा विकास एवं युवा प्रकल्प  
समर्पण विधिकरण 'को को जय  
कॉलेज' कोटि जय  
द्वारा।



ज्ञानमंदिर महाविद्यालय, नीमच 24/7/2023  
"रक्तदान जीवनदान" थीम पर  
पोस्टर प्रतियोगिता



सशस्त्र सेना झंडा दिवस



राष्ट्रीय युवा दिवस



## ज्ञानमन्दिर महाविद्यालय, नीमच

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद स्टेडियम के सामने,  
दशहरा मैदान के पास, नीमच-458441

आवेदन पत्र सहित  
मूल्य ₹150